पत्रांक– 232(C)

**बिहार सरकार**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

**सी0 के0 अनिल,**
प्रधान सचिव।

सेवा में,

**सभी समाहर्त्ता,**
**बिहार।**

पटना–15, दिनांक– 30/3/2026

विषय :– **Trap Cases का Summary Disposal के संबंध में मार्गदर्शन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में भी संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (Cadre Controlling Auothority) के पद की शक्तियों का उपयोग करते हुए trap के मामलों के शीघ्र निष्पादन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें पटना, शिवहर एवं वैशाली के समाहर्त्ता को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे ।

2. विभागीय मंत्री द्वारा आज दिनांक–30.03.2026 को समीक्षा के क्रम में यह खेद व्यक्त किया गया कि समाहर्त्ताओं द्वारा सरकार के Zero tolrence on corruption की नीति के बावजूद पटना को छोड़कर अन्य किसी जिले में समाहर्त्ता द्वारा नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकार के शक्तियों का उपयोग उचित ढंग से उपयोग करते हुए trap cases में कठोर दंड निर्धारित नहीं की गई है ।

3. राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता एवं Ease of Living, जो सात निश्चय का भी अभिन्न अंग है, के क्रियान्वयन के क्रम में राजस्व हलका कर्मचारी द्वारा राशि की अवैध उगाही करना दंडनीय अपराध है एवं यह Prevention and Corruption Act, 1988 यथासंशोधित 2018 में भी संज्ञेय अपराध है ।

4. कतिपय समाहर्त्ताओं द्वारा दूरभाष पर यह मार्गदर्शन माँगा गया है कि हलका कर्मचारी यदि बेउर जेल अथवा अन्य कारा में हैं तो विभागीय कार्यवाही का संचालन किस प्रकार से हो ? इस संबंध में मार्गदर्शन निम्न प्रकार से दिया जाता है :–

(क) आरोप–पत्र का तामिला जेल अधीक्षक के माध्यम से किया जाएगा ।

(ख) आरोपी कर्मचारी का जवाब 15 दिनों की निश्चित समय–सीमा के अन्तर्गत जेल अधीक्षक के माध्यम से ही समाहर्त्ता के पास आएगा ।

(ग) संचालन पदाधिकारी (ADM) आरोपी पदाधिकारी के लिखित बचाव अभिकथन (written statement) पर विचार करते हुए गुण–दोष के आधार पर मुखर आदेश पारित करेंगे । तत्पश्चात् समाहर्त्ता नियुक्ति प्राधिकार के रूप में ऐसे trap cases में दंड का अधिरोपण करेंगे ।

(घ) Trap cases में सेवा से बर्खास्तगी के अलावा और कोई दंड देना न्यायोचित नहीं होगा, फिर भी समाहर्त्ता अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें ।

5. उपरोक्त दिशा–निर्देश के आलोक में सभी समाहर्त्ता, जहाँ हलका कर्मचारी trap case में खुद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किये गये हों, उन पर 15 अप्रैल, 2026 तक अंतिम आदेश पारित करके संवर्ग नियुक्ति प्राधिकार को सूचित करें ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए ।

विश्वासभाजन,
30/3/2026

**(सी0 के0 अनिल)**
प्रधान सचिव